न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार।

परिवाद सख्याः— 691 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्याः— 5258 / 2026

Forace Speciality Chem Vs. M/s SR Industries through its pro. Sathiah Kilavan.

दिनांकः 07.07.2026—

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना गया।

2. संक्षेप में परिवादी का कथन है कि, प्रार्थी कंपनी, कंपनी अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत स्थापित है तथा विपक्षी कंपनी एक फर्म है, जिसका विपक्षी सं0 2 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता है। विपक्षीगण एवं प्रार्थी कंपनी के मध्य स्थापित व्यवसायिक संबंधों के अंतर्गत विपक्षीगण के द्वारा माल / सामग्री की आपूर्ति हेतु आदेश दिये गये, जिनके अनुपालन में प्रार्थी कंपनी ने विधिवत् माल की आपूर्ति की। उक्त देनदारी के आंशिक निर्वहन हेतु विपक्षी सं0 2 ने अपनी फर्म के बैंक खाते से एक चैक संख्या 000667, मु0 2,95,000 / —रुपये का दिनांकित 17.04.2026 का अपने बैंक, सिटि यूनियन बैंक लि0 का भरा हुआ हस्ताक्षर कर परिवादी को इस आश्वासन के साथ दिया कि चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर आपको भुगतान प्राप्त हो जायेगा। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये उपरोक्त चैक को अपनी रकम समाशोधन के माध्यम से प्राप्त करने के लिये अपने बैंक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा एसएमई रानीपुर हरिद्वार के अपने खाते में प्रस्तुत किया जो अभियुक्त के बैंक ने "Funds Insufficient" की टिप्पणी दिनांकित 18.04.2026 के साथ अनादृत कर परिवादी को बिना भुगतान वापस कर दिया। उक्त संदर्भ में परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक मांग नोटिस दिनांक 07.05.2026 को अभियुक्तगण के सही पते पर भारतीय डाक विभाग के माध्यम से रजिस्टर्ड / स्पीड डाक से प्रेषित करवाया, जो दिनांक 13.05.2026 को प्राप्त हो गया। नोटिस की जानकारी होने के पश्चात् भी विपक्षीगण ने आज तक परिवादी को चैक में वर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया।

3. तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

4. परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में असल चैक, डिसऑनर स्लिप, मांगपत्र नोटिस, रजिस्टर्ड रसीद, ट्रैक रिपोर्ट, Ledger Account-SR Industries, resolution of Board of Directors, को प्रस्तुत किया गया है।

5. समस्त दस्तावेजी प्रपत्रों के अवलोकन से तथा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया कार्यवाही का आधार पर्याप्त है तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

6. अभियुक्त **Industries through its pro. Sathiah Kilavan,** को धारा 138 एन0आई0एक्ट के अपराध के विचारण हेतु जरिए समन न्यायालय में तलब किया जाता है। परिवादी धारा 227 बीएनएसएस के अनुसार गवाहान सूची तथा आवश्यक पैरवी एक सप्ताह के अंदर दाखिल करना सुनिश्चित करें। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **Indian Bank Association and others Vs. Union of India and others (2014) 5 SSC 590** नामक वाद में दिये गये निर्देशों के आधार पर परिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि वह परिवाद पत्र की प्रति और धारा 223 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत किये गये परिवादी के साक्षियों का शपथ पत्र की प्रति भी आदेशिका शुल्क (तलवाना) के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। यदि परिवादी द्वारा इस प्रक्रिया के बाद यदि किसी गवाह को प्रस्तुत करना हो तो उसे उक्त संदर्भित मार्गदर्शक विनिश्चय के कारण धारा 145 उपधारा (2) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत न्यायालय की अनुमति लेनी होगी।

7. पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त एवं धारा 274 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधान अनुसार अभियोग का सारांश बताये जाने हेतु दिनांक 17.08.2026 को पेश हो। यदि अभियुक्त नियत तिथि के पूर्व उपस्थित होता है तो उसका पक्ष मामले की शमनीयता के सम्बन्ध में जाना जायेगा तथा अभियोग सारांश भी लिखित किया जायेगा।

दिनांकः 07.07.2026

(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
हरिद्वार।